

(7)



## इलाहाबाद विकास प्राधिकरण गृह निर्माण अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल उत्तर नगर नियोजन तथा विकास प्राधिकरण 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत ही जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि इस भूमि के राखन्द में जिस पर गान्धान तने दुराते किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या दसका स्थानीय अधिकारी या अथवा फर्ग के मतिलाना अधिकारों पर निर्जीव का कोई असर पहुँचा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्क्षण या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रतिवर्द्धों के आधार पर अनुमति ही जाती है कि श्रीमती / श्री ललिता दिव्यांशु तिवारी

१०० एकड़ियां बड़ी लम्बी

१०० ६ मुद्रित्यांतरेभाटी पिता / पति का नाम श्री पूर्ण लाल चौहान E-E-B/1 स्थान लोन नं  
मुहल्ला

में नवबो में दीर्घ स्थान पर जो प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, संघिव के चिह्नित भवन वित्र के अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण करें।

कृष्ण-का-(भव्य)३-१०  
१३/२०१०

२१ संविवेदी ३.१०

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

इलाहाबाद

मान छव्वें अनुमति-पत्र का अधिकारी रह गया है।

५-१६८/२०१० अं भारत में वाल अंतर्गत भारत

मेर अधिकारी अनुमति-पत्र है।

नोट :-

1. यह स्वीकृत पत्र कवल पाव तथा का अवधि के लिए है। यहि भवन का निर्माण स्वीकृत मानविक के अनुसार नहीं किया जाता है तो उसे गिरवाया जा सकता है। जिसका पूर्ण व्यय भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना संघित विकास प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होयी तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार को यह अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा तथा संघिव विकास प्राधिकरण द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस हमारत बनवाने वाले से 10 प्रतिशत तंत्रिका के राथ वसूल किया जायेगा।

2. इस अनुमति-पत्र में सङ्क, गली या नाली पर बढ़ा कर प्राजेतान जैसे कि पोर्टिको, बारंगा, लोडया, सीढ़ी, झाप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की रवैकृति चाहे उसके साथ नवबो में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी।

3. मकान निर्माण से यदि नाली के सङ्क की घटरी अथवा सङ्क या नाली के किसी भाग (जो मकान के आवाद पिछवाहे अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने लाए से नरमत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।

4. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विधुत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिशिटी रस्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।

5. प्रार्थी को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आवाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदानी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में भकान निर्मित हुआ है।

6. यदि निर्माण में मास्टर लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दो गई रवैकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27(1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

